

कार्यालय आदेश

शासन के पत्रांक संख्या-1607/VII-3-20/19(37)-एम0एस0एम0ई0/(2017) दिनांक 22.09.2020 द्वारा अवगत कराना है कि उद्योग विभाग द्वारा संचालित "Ease Of Doing" तथा "Single Window" के अन्तर्गत कृषि विभाग द्वारा निर्गत होने वाले विभिन्न अनुज्ञापनों (बीज, कीटनाशी एवं उर्वरक) की प्रक्रिया "Online" किये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं। शासन द्वारा अपेक्षा की गयी है कि विभाग के अन्तर्गत जो अनुज्ञापनों/कार्य मैनुअल द्वारा किये जा रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित कर दिया जाये और सिर्फ "Online" प्रक्रिया से अनुज्ञप्ति जारी कर दी जाय।

अतः उपरोक्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि कृषि विभाग में अनुज्ञापन आदि से संबंधित कार्य जिनको investuttarakhand.com में "Online" किये जाने हेतु व्यवस्था है, को तत्काल प्रभाव से मैनुअल कार्य बन्द करते हुए "Online" किया जाना सुनिश्चित करें।

(गौरी शंकर)

कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक :-कृ0नि0/ 4606 /तक0/EODB/2020-21/ दिनांक 04 दिसम्बर, 2020
प्रतिलिपि-

1. सचिव, कृषि उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, उद्योग & MSME उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. अपर कृषि निदेशक, गढवाल मण्डल, पौड़ी/संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. संयुक्त कृषि निदेशक (गु0नि0), कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. समस्त मुख्य कृषि अधिकारी/समस्त कृषि रक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।

कार्यालय आदेश

शासन के पत्रांक संख्या-1607/VII-3-20/19(37)-एम0एस0एम0ई0/(2017) दिनांक 22.09.2020 द्वारा अवगत कराना है कि उद्योग विभाग द्वारा संचालित "Ease Of Doing" तथा "Single Window" के अन्तर्गत कृषि विभाग द्वारा निर्गत होने वाले विभिन्न अनुज्ञापनों (बीज, कीटनाशी एवं उर्वरक) की प्रक्रिया "Online" किये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं। शासन द्वारा अपेक्षा की गयी है कि विभाग के अन्तर्गत जो अनुज्ञापनों/कार्य मैनुअल द्वारा किये जा रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित कर दिया जाये और सिर्फ "Online" प्रक्रिया से अनुज्ञप्ति जारी कर दी जाय।

अतः उपरोक्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि कृषि विभाग में अनुज्ञापन आदि से संबंधित कार्य जिनको investuttarakhand.com में "Online" किये जाने हेतु व्यवस्था है, को तत्काल प्रभाव से मैनुअल कार्य बन्द करते हुए "Online" किया जाना सुनिश्चित करें।

(गौरी शंकर)
कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक :-कृ0नि0/ 4606
प्रतिलिपि-

/तक0/EODB/2020-21/ दिनांक

04
08

दिसम्बर, 2020

1. सचिव, कृषि उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, उद्योग & MSME उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. संयुक्त कृषि निदेशक (गु0नि0), कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. समस्त मुख्य कृषि अधिकारी/समस्त कृषि रक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।